झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02.त0शि0/योजना–12/2025 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, राँची।

विषयः– **राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोड्डा में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोजन के लिए कुल प्राक्कलित राशि रू0 2,08,11,628/– (रू0 दो करोड़ आठ लाख ग्यारह हजार छः सौ अठाईस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश :–स्वीकृत।

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत गोड्डा जिला में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोड्डा का निर्माण कार्य किया गया है। उक्त संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2025–26 से पठन–पाठन कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोड्डा में विद्युत आपूर्ति हेतु निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी, का पत्रांक 646 दिनांक 30.08.2025 के माध्यम से संस्थान में विद्युत संयोजन संबंधी प्राक्कलन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। प्रभारी निदेशक, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोड्डा को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, गिरिडीह का पत्रांक 1436 दिनांक 22.08.2025 के द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए प्राक्कलन समर्पित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

Sl.No.	Name of Work	Estimate No	Estimated Amount
1	Estimate for extension of 11 KV line from 33/11 KV PSS Lathibari to Govt. Engineering Collage Chatra, Poraiyahat Godda for Separate feeder under Electric Supply Sub-Division Godda.	09/GESA/Dep./ 2025-26	2,08,11,628/-
		Total	2,08,11,628/-

अतः उक्त के आलोक वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोड्डा में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोजन के लिए कुल प्राक्कलित राशि रू0 2,08,11,628/– (रू0 दो करोड़ आठ लाख ग्यारह हजार छः सौ अठाईस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–105– इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण– इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।

   विपत्र कोड – 43S42020210506010545

3. राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी होगें एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अग्रिम निकासी करते हुए झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, गिरिडीह, झारखण्ड को Online अंतरण (NEFT/RTGS) के माध्यम से Name of Beneficiary – JBVNL, Account No.- 3229201000344, IFSC Code CNRB0003229, Canara Bank, Giridih–815301, Pay I.D – DGR/PAYEE/67448 में जमा करेगें। अग्रिम की निकासी होने पर राशि के व्यय के पश्चात उसका विपत्र समायोजन संबंधी कार्रवाई नियमानुसार करते हुए महालेखाकार को उपलब्ध करा दी जायेगी।

4. अग्रिम निकासी नहीं होने पर निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी के द्वारा संस्थान के IRG कोष से राशि की निकासी कर झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के उक्त वर्णित खाता में अंतरित की जायेगी तथा कार्य समाप्ति के पश्चात विपत्र के आधार पर विभाग द्वारा आवंटित राशि का कोषागार से आहरित कर IRG कोष में वापस जमा कर समायोजन कर दी जायेगी।

5. विषयांकित कार्य महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, गिरिडीह झारखण्ड द्वारा विभाग को समर्पित प्राक्कलन के अनुसार विहित प्रक्रिया का नियमानुसार अनुपालन करते हुए निष्पादित किया जायेगा।

6. प्रभारी निदेशक, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोड्डा दो प्राध्यापकों की समिति बनाकर कार्य संबंधी संयुक्त प्रगति प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

7. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

9. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, धनबाद से की जायेगी।

10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।

11. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–12/2025 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–12/2025/19/योजना /राँची, दिनांक– 10.10.2025

प्रतिलिपि :–योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/प्रभारी निदेशक, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोडडा/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, गिरिडीह, झारखण्ड/विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, देवघर/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोड़ल पदाधिकारी को Upload हेतु लेखा शाखा/बजट शाखा एवं प्रभारी निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में रखने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/X/25

सरकार के अपर सचिव